

## समाचार-प्रकाशनार्थ:-

15 उचित मूल्य की दुकानों पर बनेंगे आज आयुष्मान कार्ड  
अब तक 4101 आयुष्मान कार्ड बनाये  
पोर्टल बंद रहने से 22 जुलाई को आयुष्मान कार्ड नहीं बने  
रतलाम 22 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम  
श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत 'निरामयम' '  
योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के  
आयुष्मान कार्ड वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।  
उचित मूल्य की दुकानों पर शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों के  
आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य के तहत 23 जुलाई शुक्रवार को विश्वकर्मा  
महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार त्रिलोक नगरए जवाहर महिला प्राथमिक  
उपभोक्ता भण्डार अलकापुरीए डिम्पल महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार  
नयागांवए ऑल इंडिया प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जवाहर नगरए श्री कृष्णा  
महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सखवाल नगरए बालाजी प्राथमिक  
उपभोक्ता भण्डार शहर सरायए हरिओम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार राजेन्द्र  
नगरए महर्षि प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार बाजना बस स्टैण्डए श्री  
माँ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार अमृत सागरए गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता  
भण्डार राजेन्द्र नगरए वैष्णोदेवी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार भगतपुरी  
रामगढ़ए दीपाली प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार दिलीप नगरए विश्वास महिला  
प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार फ्रीगंजए मरियम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार  
जावरा रोड व विनायक महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार स्टेडियम मार्केट  
आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे। 22 जुलाई को पोर्टल बंद रहने से  
हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने। उक्त उचित मूल्य की दुकानों पर  
21 जुलाई को आयोजित शिविरों के माध्यम से 544 पात्र हितग्राहियों के  
आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड  
बनाये गये थे इस तरह अब तक 4101 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

22 जुलाई को 1 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 22 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे<sup>a</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 22 जुलाई गुरुवार को 1 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया टे<sup>a</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

22 जुलाई गुरुवार को डम्पर व टे<sup>a</sup> क्टर ट्रॉली से 55765ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 29515ए काम्पेक्टर गीला कचरा 12320 व मैजिक 2690 किलो इस तरह कुल 100290 किलो कचरा जुलवानिया टे<sup>a</sup> चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2 सिटी मैनेजर व 5 सामुदायिक संगठिकाओं को सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी

रतलाम 22 जुलाई। एनयूएलएम के विभिन्न घटकों व पी.एम. स्वनिधी की समीक्षा के दौरान असंतोषजनक प्रगति के पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एनयूएलएम विभाग के दो सिटी मैनेजर व पांच सामुदायिक संगठिकाओं को संविदा अनुबंध समाप्त कर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

एनयूएलएम के विभिन्न घटकों व पी.एम. स्वनिधी की समीक्षा के दौरान असंतोषजनक प्रगति के पाये जाने पर सिटी मैनेजर श्री नितिन तिवारीए श्री कपील मारोठियाए सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्तेए श्रीमती

सीमा सुरोलियाए श्रीमती रेखा राठौरए श्रीमती हेमा सिलावटए सुश्री निर्मला राय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

## 18 अधिकारी/कर्मचारियों का माह जुलाई का वेतन रोका

रतलाम 22 जुलाई। सी.एम. हेल्प लाईन की शिकायतों का 19 जुलाई के पूर्व संतुष्टि पूर्वक शत-प्रतिशत निराकरण नहीं करवाये जाने पर 20 जुलाई को जारी ग्रेडिंग में रतलाम नगर निगम की उच्च ग्रेडिंग में आई कमी के कारण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संबंधित 18 अधिकारी/कर्मचारियों का आगामी आदेश तक माह जुलाई का वेतन रोका गया।

1127 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 22 जुलाई। रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़कों चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 22 जुलाई तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1127 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 22 जुलाई को पोलोग्राउण्डए पावर हाउस रोडए गौशाला रोडए दीनदयाल नगर आदि क्षेत्रों से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों ए सड़कों चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एकट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एकट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करें

ऋण हेतु नगर निगम के एनयूएलएम विभाग में संपर्क करें रतलाम 22 जुलाई। नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धि विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रुपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के

हाथीखाना स्थित एनयूएलएम कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रत्नाम 22 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रत्नाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों दुकानदारों व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रत्नाम 22 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों मेंै वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों मेंै कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्ड मेंै साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/22०७०२०२१ध्न.पा.निगमए रतलाम.